

संचिका सं०-मं०म०/का०का०(गटन)-०१/२०११

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना सं०-.....२२९/

पटना, दिनांक-.....२२/११/१३/

अधिसूचना

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-९९३, दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के आलोक में सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न रूप से नामित किया जाता है:-

क्र०	नाम	पता	पद	दूरभाष
१	मो० मिन्हाजुल अंसारी	परसौनी, बैरगनिया, सीतामढ़ी	अध्यक्ष	८४३४४८८०५४
२	श्रीमती रानीजसवाल	ग्राम+पो०- बैरगनिया	सदस्य	९२०९३२२४१३
३	जयमंगल भगत,	ग्राम - नदवारा, पो०- बैरगनिया	सदस्य	९३६३५८००१३
४	श्री राजकुमार सिंह	ग्राम- असोगी, पो०- बैरगनिया,	सदस्य	७२२७७९२२२५ ३९
५	शाहिद अली खान,	ग्राम+पो०- बैरगनिया,	सदस्य	८६५१५८२८५८
६	श्री हरिशचन्द्र महतो	ग्राम+पोस्ट-बैरगनियाँ पटेल नगर प्रखंड-बैरगनियाँ,जिला-सीतामढ़ी	सदस्य	८०८४२८५९१९
७	अशोक कुमार स्वर्णकार	पिता स्व० अमृत साह, मथुरा मार्केट बैरगनिया, सीतामढ़ी-८४३३१३	सदस्य	८८७३८१२०००
८	मो० मिराज	ग्राम+पो०-हुसैना सीतामढ़ी	सदस्य	९०९७७५५५८६
९	श्रीमती रानी जयसवाल	कुर्मी टोला, बैरगनिया सीतामढ़ी	सदस्य	९४३१२६९१५९
१०	श्री रामबाबू चौधरी	ग्राम-अशोगी वार्ड नं०-०६ शिवनगर टोला,थाना-बैरगनिया,पो०-बैरगनिया जिला-सीतामढ़ी	सदस्य	८००२४७०८३१


२. प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्य एवं सदस्य सचिव विभागीय संकल्प सं० ९९३ दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के अनुसार निम्नवत् होंगे -

- प्रखंड के लोक सभा के सदस्य - सदस्य
- प्रखंड के राज्यसभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो - सदस्य
- प्रखंड के विधान सभा के सदस्य - सदस्य।
- प्रखंड से विधान परिषद के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो - सदस्य
- पंचायत समिति के अध्यक्ष - सदस्य
- अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक/तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखंड के सभी क्षेत्रीय/तकनीकी पदाधिकारी - सदस्य
- प्रखंड में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक - सदस्य
- अंचल अधिकारी - सदस्य
- प्रखंड विकास पदाधिकारी - सदस्य सचिव।

३. शेष रिक्तियों पर मनोनयन बाद में किया जायेगा।

४. विभागीय संकल्प सं०-३३५ दिनांक २४.०७.२०१३ के आलोक में समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

संचिका सं०-मं०म०/का०का०(गठन)-०१/२०११

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना सं०-.....२२९...../

पटना, दिनांक- २२/११/१३/

अधिसूचना

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-९९३, दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के आलोक में सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न रूप से नामित किया जाता है:-

क्र०	नाम	पता	पद	दूरभाष
१	मो० मिन्हाजुल अंसारी	परसौनी, बैरगनिया, सीतामढ़ी	अध्यक्ष	८४३४४८८०५४
२	श्रीमती रानीजसवाल	ग्राम+पो०- बैरगनिया	सदस्य	९२०९३२२४१३
३	जयमंगल भगत,	ग्राम - नदवारा, पो०- बैरगनिया	सदस्य	९३६३५८००१३
४	श्री राजकुमार सिंह	ग्राम- असोगी, पो०- बैरगनिया,	सदस्य	७२२७७९२२२५ ३९
५	शाहिद अली खान,	ग्राम+पो०- बैरगनिया,	सदस्य	८६५१५८२८५८
६	श्री हरिशचन्द्र महतो	ग्राम+पोस्ट-बैरगनियाँ पटेल नगर' प्रखंड-बैरगनियाँ, जिला-सीतामढ़ी	सदस्य	८०८४२८५९१९
७	अशोक कुमार स्वर्णकार	पिता स्व० अमृत साह, मथुरा मार्केट बैरगनिया, सीतामढ़ी-८४३३१३	सदस्य	८८७३८१२०००
८	मो० मिराज	ग्राम+पो०-हुसैना सीतामढ़ी	सदस्य	९०९७७५५५८६
९	श्रीमती रानी जयसवाल	कुर्मी टोला, बैरगनिया सीतामढ़ी	सदस्य	९४३१२६९१५९
१०	श्री रामबाबू चौधरी	ग्राम-असोगी वार्ड नं०-०६ शिवनगर टोला, थाना-बैरगनिया, प्र०-बैरगनिया जिला-सीतामढ़ी	सदस्य	८००२४७०८३१

२. प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्य एवं सदस्य सचिव विभागीय संकल्प सं० ९९३ दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के अनुसार निम्नवत् होंगे -

- प्रखंड के लोक सभा के सदस्य - सदस्य
 - प्रखंड के राज्यसभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो - सदस्य
 - प्रखंड के विधान सभा के सदस्य - सदस्य।
 - प्रखंड से विधान परिषद् के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो - सदस्य
 - पंचायत समिति के अध्यक्ष - सदस्य
 - अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक/तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखंड के सभी क्षेत्रीय/तकनीकी पदाधिकारी - सदस्य
 - प्रखंड में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक - सदस्य
 - अंचल अधिकारी - सदस्य
 - प्रखंड विकास पदाधिकारी - सदस्य सचिव।
३. शेष रिक्तियों पर मनोनयन बाद में किया जायेगा।
४. विभागीय संकल्प सं०-३३५ दिनांक २४.०७.२०१३ के आलोक में समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव